2831 431500 2750 17800

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 368567

1-लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता :-

श्री अजीत कुमार मेहता, पिताजी का नाम श्री विजय कान्त महतो, जाति- कोईरी, निवास ग्राम- पोखराहा खुर्द्द, पोस्ट- रजवाडीह, थाना- मेदिनीनगर, जिला- पलामू, पेशा- खेती, राष्ट्रीयता- भारतीय।

PAN : BBEPM8304B. जन्म तिथि : **15-02-1982**

2-लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता :-

सुमीरा कुमारी, पति श्री मनोज कुमार मेहता, निवास ग्राम अन्दर शहर- मेदिनीनगर, मोहल्ला- आबादगंज, थाना वो पोस्ट- मेदिनीनगर, जिला- पलामू, झारखण्ड, स्थायी पता ग्राम- बिहारी बिगहा, पोस्ट- पाण्डू, थाना- टंडवा, जिला- औरंगाबाद, राज्य- बिहार, पेशा- गृहणी, राष्ट्रीयता- भारतीय। जाति कोईरी।

060039 5000Rs.

3-<u>लेख्य प्रकार</u> :- निर्विवाद विक्रय-पत्र (**SALE DEED**)

4-<u>मूल्य</u> :- मो0-2,00,000/- (दो लाख) रूपए मात्र।

झारखण्ड सरकार द्वारा न्यूनतम बाजार मूल्य मो0-4,37,500/- (चार लाख सैंतीस हजार पाँच सौ) रूपए मात्र।

दर आवासीय 1,75,000/-रूपए प्रति डिसमिल।

5-<u>सम्पत्ति</u> :- मवाजी 0.2½ डिसमिल (दो पूर्णांक एक बटा दो डिसमिल) जमीन टांड़, गृह निर्माण योग्य अन्दर ग्राम- बारालोटा, अंचल वो थाना- मेदिनीनगर, जिला- पलामू का हकियत कास्त रैयती मौरूसी हक हासिल सम्पत्ति है, पार्ट होल्डिंग आज बिक्री करते हैं। यह सम्पत्ति नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है तथा आवासीय अन्य सड़क से 300' फीट की दूरी पर स्थित है। विक्रय भूमि के साथ इस वसीका में नक्शा संलग्न है, जिसमें विक्रय भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण पूरब तरफ- 36फीट, उत्तर से दक्षिण पश्चिम तरफ-35फीट और चौड़ाई पूरब से पश्चिम दोनों तरफ 30फीट 8 इंच, कुल-1093 वर्गफीट क्षेत्रफल होता है। सब वो जिला रजिस्ट्री औफिस मेदिनीनगर, जिला- पलामू।

सही- रणजीत कुमार पिता गोपाल राम ता: 20:4:2012

गवाह
दिनेश कुमार महतो
गाड़ा पो० बारालोटा
जिला- पलामू 20-4-2012

झारखण्ड JHARKHAND

786133

-: 3 :-

थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	हल्का नं0	ग्राम
198	56	1	प्रथम भाग हाउसिंग कॉलोनी से पूरब अन्य सड़क से 300' फीट की दूरी।	बारालोटा

खाता नं0	प्लौट नं0	रकवा	चौहद्दी
320 (तीन सौ बीस)	36 (छत्तीस)	0.02½ (दो पूर्णांक एक बटा दो डिसमिल)	उत्तर :- सत्संग महाराज की भूमि दक्षिण :- 12'-0'' चौड़ा रास्ता पूरब :- नीज विक्रेता पश्चिम :- नीज विक्रेता

दो दशमल एक बटा दो डिसमिल जमीन बिक्री करते हैं।

सालाना वार्षिक लगान:- मो0-0.15 (पन्द्रह पैसे) अलावे शेष।

नाम मालिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी, मेदिनीनगर, जिला- पलामू।

विदित हो कि खाना संख्या-पाँच वसीका हाजा का सम्पत्ति लेख्यकारी का मौजा बारालोटा, अंचल थाना- मेदिनीनगर में हकीयत कास्त रैयती मौरूसी हक प्राप्त है, जिसका वर्तमान मे डिमाण्ड लेख्यकारी के दादा स्वर्गीय देवकी महतो के नाम से होल्डिंग पेज नं0-305/1732 में दर्ज होकर सरकारी रसीद कटते चला आ रहा है एवं ए0आर0केस नं0-1032/55-56 ईस्वी से

झारखण्ड JHARKHAND

786134

प्राप्त है। इस भूमि पर किसी प्रकार का झगड़ा, झंझट तथा सरकारी या गैर-सरकारी ऋणभार देन नहीं है और न ही किसी और के हाथो बिक्री की गई है। संक्षेप में यह कहा जाएगा कि यह भूमि हर तरह से पाक वो साफ व दोषमुक्त है।

इस समय लेख्यकारी को रूपये का जरूरत वास्ते खरीद करने दीगर जमीन जो कि अपने खास लहाव में है, जो बिना बिक्री किए जमीन के रूपये का प्रबन्ध अपने पास खास जेब से मुश्किल है। इसलिए उपर वर्णित सम्पत्ति को बिक्री का ऐलान वो प्रचार लोगों के बीच में किया। सबसे अधिक कीमत लेख्यधारीणी ही देने को राजी हुए जो अभी के बाजार भाव के अनुकूल है तथा दोनों पक्षों के बीच भी विक्रय सम्पत्ति का मूल्य तय हुआ। इसलिए उक्त विक्रय सम्पत्ति को आज के रोज लेख्यधारीणी के साथ उचित मूल्य 2,00,000/- (दो लाख रूपए) कीमत में बिक्री किया तथा विक्रय की कुल राशि जमीन रजिस्ट्री से पहले पा चुके हैं। विक्रय सम्पत्ति पर लेख्यकारी या उनके वारिसानों का जो हक एवं कब्जा प्राप्त था, वह सब आज से लेख्यधारीणी या उनके कायम वारिसानों को प्राप्त हुआ। इसमें मुझे तथा मेरे वारिसानों का न कोई उजूर है और न कोई एतराज भविष्य में कभी होगा।

झारखण्ड JHARKHAND

A 699736

लेख्यकारी एवं लेख्यधारीणी के बीच यह घोषणा किया गया कि विक्रय की गई जमीन में लेख्यधारीणी जब कभी भी मकान बनावेंगे, तो वे अपना रास्ते के तरफ एक फीट जमीन छोड़कर मकान या चहारदिवारी का निर्माण करेंगे, जिससे कि उस रास्ते में आने-जाने में किसी तरह का कोई परेशानी दोनों पक्षों के बीच न हो।

चाहिए कि लेख्यधारीणी खुद मय वारिसान उक्त विक्रय सम्पत्ति पर शांतिपूर्ण ढंग से दखल काबिज रहकर मकान बनावें, चहारदिवारी बनावें, कुआँ खोदवायें या चापाकल लगावें। यानी जो भी समझें अपने मशरफ में दर लावें। इसमें मुझे तथा मेरे स्थानापन्न को कोई उजूर नहीं है और न भविष्य में होगा। नाम झारखण्ड सरकार रजिस्टर्ड कराकर सालाना मालगुजारी दिया करें।

इसलिए मैं अपना हर घाटा, नफा को खुब अच्छी तरह सोच-समझ कर, मन, शरीर की पूर्ण स्वस्थता में रहकर, बेला किसी चीज के मिनहाई वो बिना डराए, धमकाये, फुसलाये के वो शरीर की पूर्ण स्वस्थता में यह केवाला बयला कलामी हाजा

लेख्यधारिणी सुमीरा कुमारी को लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण तथा सनद रहे।

आज दिनांक-20 माह- अप्रैल, 2012 ईस्वी।

कातिब :-

संजय कुमार मेहता, ताईद, ...
मोकाम- मेदिनीनगर, ला0नं0-88/03,
वसिका टंकण कराकर दोनों पक्षों को पढ़कर सुना वो समझा दिया एवं दोनों पक्षों ने स्वयं पढ़कर अपना सही एवं उंगलियों के निशान बनाये।

टंकक-
ओमजी.

ताईद दस्तावेज लिपिक
ला० नं० - 88/03
मेदिनीनगर, पला०

सुमिरा कुमारी

प्रमाणित किया जाता है कि वसिका में लिखे बातों को ध्यान में लाया गया है उनके सही एवं बायें हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने बनाये गये हैं
संजय कुमार मेहता ताईद ला०नं० 88/03

साक्षी - रणजीत कुमार मेहता ता: 20.4.2012